सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्रीमती रेणु देवी, स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री आलोक रंजन, स०वि०स० श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स०	''राज्य में पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 307 एम्बुलेंस खरीदने हेतु 49.12 करोड़ की राशि दी है, लेकिन अभी तक यह सेवा प्रारम्भ नहीं हो पाई है, जिससे बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन नहीं हो पा रहा है एवं इस सेवा से बिहार के पशु वंचित है । राज्य में पशुधन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है । आज भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में दुधारू गाय / भैंस पर परिवार का आय निर्भर है । अत: केन्द्र द्वारा दी गई राशि से पशुपालकों के द्वार पर एम्बुलेंस खरीद कर पशु चिकित्सा सुविधा पहुँचाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पशु एवं मत्स्य संसाधन

2. श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स० श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स०	''गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी की तटबंध की सुरक्षा एवं सिंचाई हेतु विभाग ने राज्यस्तरीय चार सदस्यों की जाँच टीम गठित की थी । जाँच टीम ने अपने पत्रांक-1801, दिनांक-01.09.2021 के माध्यम से विभाग को जनहित में उक्त कार्यों की अनुशंसा कर दी थी लेकिन आज तक तटबंध की सुरक्षा हेतु कारगर कदम नहीं उठाया गया है, जबकि विभाग स्तर पर एजेण्डा सं०-194/527/23 एवं 198/18/23 पिछले दो वर्षों से लम्बित है । इसी संदर्भ में कुछ योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था जो पिछले वर्ष स्वीकृत होकर विभाग के पास लम्बित है । सुलिस गेट ध्वस्त हो जाने से खेतों का पटवन नहीं हो पाता है । बाँस घाट मसूरिया एवं घोघरहाँ ध्वस्त सुलिस गेट बाढ़ के समय टूट जाता है तो गोपालगंज, सिवान एवं छपरा शहर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है । अत: जनहित में उपरोक्त तटबंध के सुरक्षात्मक कार्य एवं ध्वस्त सुलिस गेट का निर्माण कराये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2023- 654 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2023- 654 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2023- 654 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2023- 654 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।